वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2012–2013)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, 2463585, फैक्स– 2430158
वेबसाईट : www.mperc.nic.in
ई–मेल : secretary@mperc.nic.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	कार्यकारी संक्षेपिका	03
2.	वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान जारी किये गये खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश की प्रमुख विशेषताएं	07
3.	वित्तीय वर्ष 2012–13 की अवधि में जारी विनियम तथा विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन	11
4.	अनुज्ञप्तिधारियों की उपभोक्ता सेवाएं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्ड	12
	परिशिष्ट–1	15
	परिशिष्ट–2	16–17
	परिशिष्ट–3 (अ, ब, स)	18–20
	परिशिष्ट–4	21

अध्याय – 1

कार्यकारी संक्षेपिका

1.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया था। तत्पश्चात्, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 में विद्युत सुधार अधिनियम पारित किया गया। इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है ।

1.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसार, आयोग से प्रति वर्ष एक बार विगत वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिसके अनुसार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां राज्य शासन को प्रेषित की जाती हैं तथा प्राप्त होने पर इन्हें राज्य सरकार यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करती है।

1.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तदनुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जाता रहा है। यह प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 से संबंधित है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 की गतिविधियों का सारांश

1.4 वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने निम्न टैरिफ आदेश जारी किये हैं :

(क) विद्युत उत्पादन टैरिफ के संबंध में जारी आदेश

क्रमांक	टैरिफ आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	एम.पी. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 15, वर्ष 2012** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु ताप विद्युत तथा जल विद्युत स्टेशनों हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु आदेश	16.04.2012
2	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 42, वर्ष 2012** के अंतर्गत ''सरदार सरोवर परियोजना हेतु वार्षिक प्रभारों के संबंध में देयक तथा वसूली'' के अनुमोदन हेतु आदेश	16.04.2012
3	एम.पी. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 34, वर्ष 2011** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, विस्तार इकाई क्रमांक 5 (210 मेगावाट) के अंतिम विद्युत उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन हेतु आदेश	01.05.2012

4	मेसर्स बीएलए पॉवर (प्रा.) लिमिटेड द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 28, वर्ष 2012** के अंतर्गत बीएलए पॉवर के गाडरवारा स्थित 45 मेगावाट संयंत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा के विक्रय हेतु पूंजीगत व्यय के अनुमोदन तथा अनन्तिम टैरिफ के अवधारण हेतु आदेश	24.07.2012
5	एम.पी. पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 52, वर्ष 2012** के अंतर्गत 210 मेगावाट क्षमता की अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई क्रमांक 5 के संबंध में दिनांक 01.09.2009 (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि CoD) से 31.03.2012 हेतु आयोग द्वारा दिनांक 01.05.2012 को पारित अंतिम विद्युत उत्पादन टैरिफ आदेश की समीक्षा के संबंध में आदेश	03.09.2012
6	एम.पी.पॉवर जनरेटिंग कंपनी द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 63, वर्ष 2012** के अंतर्गत 2 x 10 मेगावाट बाणसागर–IV झिन्ना जल विद्युत स्टेशन को लघु जल विद्युत स्टेशन के रूप में विचार किये जाने के संबंध में आदेश	12.10.2012
7	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 55, वर्ष 2012** के अंतर्गत वर्ष 2012–13 हेतु सरदार सरोवर परियोजना से स्थाई रूप से उत्पादित ऊर्जा के मध्यप्रदेश राज्य के 57 प्रतिशत अंशदान के विक्रय के संबंध में अनन्तिम टैरिफ के अनुमोदन हेतु आदेश	18.10.2012
8	एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 78 वर्ष 2012** के अंतर्गत मेसर्स लैंको अमरकंटक (प्रा.) लिमिटेड के साथ उसकी 300 मेगावाट क्षमता इकाई के संबंध में हस्ताक्षरित विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) के संबंध में पूंजीगत लागत एवं विद्युत क्रय प्रक्रिया के अनुमोदन के संबंध में आदेश	01.12.2012
9	मेसर्स जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 40 वर्ष 2012** के अंतर्गत जे.पी. बीना में 2 x 210 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशन चरण–एक (इकाई क्रमांक 1 तथा 2) के अनन्तिम टैरिफ के अवधारण बाबत् आदेश	12.12.2012
10	एम.पी. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 55, वर्ष 2009 में आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2011 के विरूद्ध दायर की गई अपील क्रमांक 121/2011 में विद्युत के लिए माननीय अपीलीय अधिकरण (Appelate Tribunal for Electricity) द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 को पारित निर्णय के परिपालन के संबंध में आदेश	27.12.2012
11	एम.पी. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 61, वर्ष 2012** के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 3 मार्च, 2012 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ का सत्यापन आदेश	23.01.2013
12	एम.पी. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 59, वर्ष 2012** के अंतर्गत 3 x 20 मेगावाट मढ़ीखेड़ा जल–विद्युत स्टेशन हेतु वित्तीय वर्ष 06–07 से वित्तीय वर्ष 10–11 (अंतिम) तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 (प्रक्षेपित) की अवधि के संबंध में अंतिम विद्युत उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन हेतु आदेश	31.01.2013

13	मेसर्स ऐस्सार पॉवर (एमपी) लिमिटेड द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 3, वर्ष 2013** के अंतर्गत 2 x 600 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र से ''शुद्ध ऊर्जा के पांच प्रतिशत (five percent of net power)'' के संबंध में ऊर्जा प्रभारों के अनुमोदन हेतु आदेश	20.02.2013
14	एम.पी. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका **क्रमांक 58, वर्ष 2012** के अंतर्गत 500 मेगावाट संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन, बिरसिंहपुर, विस्तार इकाई क्रमांक 5 हेतु वित्तीय वर्ष 08–09 से वित्तीय वर्ष 10–11 (अंतिम) तथा वित्तीय वर्ष 11–12 (प्रक्षेपित) हेतु अंतिम विद्युत उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन हेतु आदेश	28.02.2013

(ख) पारेषण टैरिफ के संबंध में जारी आदेश

क्रमांक	टैरिफ आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	**याचिका क्रमांक 21, वर्ष 2012** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पारेषण टैरिफ आदेश	17.04.2012
2	**याचिका क्रमांक 67, वर्ष 2011** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु पंचवर्षीय पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) का अनुमोदन	30.07.2012
3	**याचिका क्रमांक 70 वर्ष 2010** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन	06.08.2012
4	**याचिका क्रमांक 49, वर्ष 2012** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अपराम्परिक ऊर्जा स्त्रोत आधारित विद्युत उत्पादन इकाईयों हेतु पारेषण टैरिफ	20.09.2012
5	**याचिका क्रमांक 23 वर्ष 2012** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन	02.02.2013

(ग) खुदरा प्रदाय विद्युत टैरिफ आदेश

क्रमांक	टैरिफ आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश	23.03.2013

(घ) ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु जारी टैरिफ आदेश

क्रमांक	टैरिफ आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट)	26.03.2013
2	लघु जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु आदेश को जारी रखने संबंधी आदेश	30.03.2013

1.5 उपभोक्ताओं के हित संवर्धन तथा अनुज्ञप्तिधारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाये जाने की दृष्टि से, आयोग नियमित रूप से विद्युत कंपनियों के साथ विचारों का आदान–प्रदान करता रहा है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 82 याचिकाऐं, जिनमें 10 स्व–प्रेरणा याचिकाएं सम्मिलित हैं, पंजीकृत की गईं। पूर्व वर्ष की 29 याचिकाएं भी अवशेष थीं। इस प्रकार, कुल 111 याचिकाओं में से कुल 87 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि अवशेष 24 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2013–14 में जारी रहेगी।

1.7 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, राज्य सलाहकार समिति की दो बैठकों का आयोजन क्रमशः दिनांक 28.08.2012 व दिनांक 27.02.2013 को किया गया। टैरिफ के अवधारण तथा उपभोक्ता हितों के संवर्धन से संबंधित विषयों पर राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये परामर्श पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिये गये।

1.8 आयोग की संरचना

श्री राकेश साहनी आयोग के अध्यक्ष पद पर दिनांक 22.09.2010 से कार्यरत हैं। श्री सी.एस. शर्मा सदस्य के पद से दिनांक 26.10.2012 को कार्यमुक्त हुए। राज्य शासन द्वारा आयोग में दो नये सदस्यों क्रमशः श्री ए.बी. बाजपेयी एवं श्री आलोक गुप्ता की नियुक्ति की गई। श्री ए.बी. बाजपेयी, सदस्य द्वारा दिनांक 11.12.2012 को एवं श्री आलोक गुप्ता, सदस्य द्वारा दिनांक 02.01.2013 को पदभार ग्रहण किया गया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का विवरण **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।

अध्याय – 2

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान जारी किये गये खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश की प्रमुख विशेषताएं

2.1 वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये दिनांक 23 मार्च 2013 को जारी खुदरा प्रदाय विद्युत दर निर्धारण आदेश के मुख्य बिन्दु

1. यह विद्युत दर निर्धारण आदेश 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी किया गया ।

2. आयोग द्वारा विद्युत दरों में केवल 0.77% की वृद्धि ही स्वीकृत की गई ।

3. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा रू. 24,220/– करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता प्रस्तावित की गई थी जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा रू. 20,599/– करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता को ही ग्राह्य किया गया । विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिये विद्युत दरों का पुनरीक्षण किया गया ताकि वितरण कम्पनियों को आयोग द्वारा ग्राह्य कुल राजस्व आवश्यकता के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति हो सके ।

4. तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही वितरण हानियों के स्तर को ग्राह्य किया गया ।

कम्पनी	वर्ष 2013–14 के लिए ग्राह्य वितरण हानियों का स्तर
पूर्व	23%
पश्चिम	20%
मध्य	23%

5. **एलव्ही 1 घरेलू** – घरेलू उपभोक्ताओ के लिए लागू विद्युत दरो मे कोई परिवर्तन नही किया गया सिवाय उन उपभोक्ताओ के जिनकी मासिक खपत 500 यूनिट से अधिक है। 500 यूनिट से अधिक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू ऊर्जा प्रभार मे मात्र 5

पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गई । घरेलू उपभोक्ताओ के लिए लागू मासिक स्थाई प्रभार की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

6. **एलव्ही 2 गैर–घरेलू** – गैर घरेलू उपभोक्ताओ के लिए लागू विद्युत दरो मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

7. **एलव्ही 3.1 सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य** – विद्युत दरो मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

8. **एलव्ही–3.2 पथ–प्रकाश** – नगरपालिकाओं/ग्रामपंचायतों की दरों मे कोई वृद्धि नही की गई। नगरपालिक निगम/छावनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड उपभोक्ता श्रेणी के लिए लागू ऊर्जा प्रभार मे मात्र 5 पैसे प्रति यूनिट तथा मासिक स्थाई प्रभार मे रु. 5 प्रति किलोवाट की वृद्धि की गई ।

9. **एलव्ही–4 निम्नदाब उद्योग** –

अ. 25 अश्वशक्ति (हार्स पावर) संयोजित भार वाले निम्न दाब उद्योग उपभोक्ताओं की विद्युत दरो मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

ब. मांग–आधारित विद्युत–दर (Demand based tariff) के उपभोक्ताओं के लिए लागू ऊर्जा प्रभार मे मात्र 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गई , परंतु मासिक स्थाई प्रभार की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

10. **एलव्ही–5 कृषि संबंधी एवं कृषि संबंधी अन्य उपयोग**

अ. **एलव्ही–5.1 कृषि उपयोग–** कृषि उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट प्रतिमाह खपत तक कोई वृद्धि नही की गई । 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक खपत पर लागू ऊर्जा प्रभार मे मात्र 5 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गई । डीटीआर (वितरण ट्रांसफार्मर) मीटर समूह उपभोक्ता श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

ब. **एलव्ही–5.2 कृषि संबंधी अन्य उपयोग हेतु उद्यानिकी (हार्टिकल्चर) गतिविधि** – उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट प्रतिमाह खपत तक कोई वृद्धि नही की गई । 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक खपत पर लागू ऊर्जा प्रभार मे मात्र 5 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गई ।

स. **एलव्ही–5.3 कृषि संबंधी अन्य उपयोग हेतु** – 25 अश्वशक्ति भार वाले निम्न दाब उपभोक्ताओं की विद्युत दरों मे कोई परिवर्तन नही किया गया। मांग–आधारित विद्युत–दर

(Demand based tariff) के उपभोक्ताओं के लिए लागू ऊर्जा प्रभार मे मात्र 5 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गई । मासिक स्थाई प्रभार की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

11. **एचव्ही–1 रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)** – विद्युत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

12. **एचव्ही–2 कोयला खदानें (कोल माईन्स)** – विद्युत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

13. **एचव्ही–3 औद्योगिक, गैर–औद्योगिक, शॉपिंग मॉल**

अ. **एचव्ही–3.1 औद्योगिक** उपभोक्ताओं के लिए लागू स्थाई प्रभार मे मात्र 10 रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह की दर से वृद्धि की गई । 11 एवं 33 केवी उपभोक्ताओं के ऊर्जा प्रभार में मात्र 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई तथा 132 एवं 220 केवी उपभोक्ताओं के ऊर्जा प्रभार मे मात्र 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई ।

ब. **एचव्ही–3.2 गैर–औद्योगिक** उपभोक्ताओं के लिए लागू स्थाई प्रभार मे मात्र 10 रूपये प्रति केवीए तथा ऊर्जा प्रभार मे मात्र 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई ।

स. **एचव्ही–3.3** शॉपिंग मॉल के 33 केव्ही एवं 11 केव्ही उपभोक्ताओं के लिए स्थाई प्रभार मे मात्र 5 रूपये प्रति केवीए एवं ऊर्जा प्रभार मे मात्र 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई । 132 केव्ही उपभोक्ताओं के ऊर्जा प्रभार मे मात्र 15 पैसे प्रति यूनिट एवं स्थाई प्रभार में मात्र 5. रु. प्रति केव्हीए की वृद्धि की गई ।

ड. **एचव्ही–3.4 गहन विद्युत उद्योग (Power Intensive Industries)** उपभोक्ताओं के लिए लागू ऊर्जा प्रभार मे मात्र 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गई है तथा स्थाई प्रभारों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

14. **एचव्ही–4 मौसमी (सीजनल)** :– उपभोक्ताओं के लिए स्थाई प्रभार मे मात्र 5 रूपये प्रति केवीए तथा ऊर्जा प्रभार मे मात्र 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गई ।

15. **एचव्ही–5 सिंचाई, सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग –** विद्युत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

16. **एचव्ही–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसीडेन्शियल यूजर्स) –** उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार मे मात्र 5 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गई है तथा स्थाई प्रभारों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

17. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के विद्युत दर निर्धारण में दर संरचना में कुछ परिवर्तन किये है। ऐसा आयोग को प्राप्त हुए सुझाव/आपत्तियों के आधार पर किया गया है। महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं :–

क. कृषि उपभोक्ताओं हेतु फ्लेट रेट पर भुगतान योजना : – राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को फ्लेट रेट पर विद्युत प्रदाय करने की योजना प्रस्तावित की थी। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं द्वारा 1200/– रू. प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष देय है । इसका भुगतान दो अंशों में लिया जाना है। 600/– रू. प्रति हार्स पावर का भुगतान माह अप्रैल में तथा शेष 600/– रू. प्रति हार्स पावर का भुगतान माह अक्टूबर में लिया जाना है । आयोग द्वारा कृषि उपभोक्ता श्रेणी एल. वी. 5.1 में निर्धारित दरों के अनुरूप उपभोक्ता के कुल बिल में से उपरोक्त भुगतान की राशि का समायोजन करने के उपरान्त शेष राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सबसिडी के रूप में किया जाना है । राज्य शासन द्वारा घोषित योजना का संज्ञान लेते हुए स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं हेतु फ्लेट रेट विद्युत दरों की अलग श्रेणी एल.वी. 5.4 का निर्धारण किया गया है। कृषि श्रेणी एल.वी. 5.1 के अन्तर्गत आने वाले मीटरीकृत उपभोक्ताओं को यह विकल्प होगा कि वे भी फ्लेट रेट श्रेणी के तहत विद्युत प्रदाय प्राप्त कर सकते हैं ।

ख. विद्युत दर श्रेणी एल.वी. 4 में मांग आधारित दरों पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के संयोजित भार की सीमा को समाप्त किया गया ।

ग. गैर घरेलू मांग आधारित उपभोक्ताओं की श्रेणियों में कतिपय बदलाव किया गया । पहले 10 किलोवॉट या उससे अधिक की मांग पर उपभोक्ता को मांग आधारित दरों पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करने का विकल्प था । अब 10 किलोवॉट से लेकर 20 किलोवॉट तक यह विकल्प उपलब्ध रहेगा तथा 20 किलोवॉट से अधिक विद्युत मांग पर मांग आधारित दरें ही लागू होगी ।

अध्याय – 3

वित्तीय वर्ष 2012–13 की अवधि में जारी विनियम तथा विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन

मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट किया गया है कि आयोग, अधिसूचना जारी कर, इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अधिनियमों के उपबंधों के परिपालन हेतु सुसंगत विनियम बना सकेगा। तदनुसार, आयोग द्वारा समय–समय पर विनियम जारी किये गये हैं । वर्ष 2012–13 के दौरान जारी विनियमों तथा विनियमों के संशोधनों तथा परिवर्धनों की सूची **परिशिष्ट – 2** में संलग्न है ।

अध्याय – 4

अनुज्ञप्तिधारियों की उपभोक्ता सेवाएं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्ड

4.1 प्रतिवेदन की विचाराधीन अवधि में, आयोग ने उपभोक्ता सशक्तीकरण की दिशा में उपभोक्ताओं द्वारा उनके अधिकारों के प्रयोग तथा समग्र विकास हेतु उपभोक्ताओं को उनके दायित्वों के प्रति जागरूकता लाये जाने के संबंध में सक्रियता से सकारात्मक कदम उठाये हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ता सेवाओं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्डों से संबंधित विषयों के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

अनुपालन मानदण्ड

4.2 आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों हेतु यथासंशोधित अनुपालन मानदण्डों संबंधी विनियम दिनांक 23 नवम्बर 2012 को राजपत्र में अधिसूचित किये गये हैं। राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों हेतु प्रचालन अनुपालन मानदण्ड, यथा फ्यूज ऑफ कॉल का निवारण, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित किये जाने हेतु त्रुटियों में सुधार, मीटर (मापयंत्र) संबंधी शिकायतें, बिलिंग की त्रुटियों में सुधार, रूके हुए/ खराब मीटरों तथा जले हुए ट्रांसफामरों को बदलने, उपभोक्ता शिकायतों का निराकरण आदि हेतु निर्दिष्ट समय–सीमाओं को भी निर्धारित किया गया है। इन विनियमों के अंतर्गत कंपनियों द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं में होने वाले विलंब के कारण उपभोक्ताओं को भुगतान–योग्य क्षतिपूर्ति को भी विनिर्दिष्ट किया गया है।

4.3 आयोग ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने बाबत् कई कदम उठाने में उसके द्वारा पहल की गई है। इनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

(1) **विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ :–** विद्युत सुधारों के उद्धदेश्यों में से एक उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाना है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण को गति प्रदान किये जाने की सुविधा हेतु आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। विद्युत **उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ** की स्थापना दिनांक 15 मई, 2008 को आयोग कार्यालय के अंतर्गत आयोग के सलाहकार के पर्यवेक्षण में की गई। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान **उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ** में प्राप्त प्रकरणों के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :

(क)	दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में लंबित शिकायतों की संख्या	135
(ख)	वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	414
(ग)	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कुल शिकायतों की संख्या	549
(घ)	वर्ष के दौरान शिकायतों के निपटारे की संख्या	509
(ड)	दिनांक 31.3.2013 की स्थिति में लंबित शिकायतों की संख्या	40

(2) केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों की स्थापना :– आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों (काल सेंटर्स) की स्थापना की गई है। ये शिकायत निवारण केन्द्र चौबीस घंटे कार्यरत् हैं तथा उपभोक्ताओं हेतु निरंतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जिसमें इन शहरों से वैबसाईट के माध्यम से शिकायतों का ऑनलाईन पंजीकरण किया जाना भी सम्मिलित है।

(3) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम :– राज्य में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों की स्थापना माह अक्टूबर/नवंबर, 2004 में की गई थी। वर्तमान में राज्य में तीन विद्युत वितरण कंपनियां कार्यरत् हैं तथा प्रत्येक वितरण कंपनी ने एक–एक फोरम की स्थापना की है। इन फोरमों के मुख्यालय इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में स्थित हैं। इन फोरमों द्वारा, शिकायतों के निपटान हेतु परिवेदित उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न अन्य स्थानों पर भी सुनवाईयां आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2012–13 की अवधि में फोरमों द्वारा शिकायतों के निवारण संबंधी विवरण **परिशिष्ट–3(अ), 3(ब) तथा 3(स)** में दर्शाये गये हैं।

(4) फोरम स्तर पर दर्ज की गई शिकायतों के निवारण की स्थिति की ऑनलाईन समीक्षा :– वर्ष 2008 से शिकायतकर्ताओं को उनके द्वारा फोरम स्तर पर दर्ज की गई शिकायतों के निराकरण की स्थिति का अवलोकन किये जाने बाबत् ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। शिकायत निवारण की वस्तुस्थिति का अवलोकन इंटरनेट के माध्यम से आयोग की वैबसाईट www.mperc.nic.in पर किया जा सकता है।

(5) विद्युत लोकपाल :– राज्य में विद्युत लोकपाल का पद सृजित किया गया है। वे शिकायतकर्ता जो फोरम द्वारा पारित निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, विद्युत लोकपाल को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रकरणों की स्थिति का प्रगति प्रतिवेदन **परिशिष्ट–4** पर दर्शाया गया है।

(6) उपभोक्ता संबंधी विषयों पर गैर–शासकीय संगठनों (एनजीओ) को संबद्ध किया जानाः–

आयोग के मतानुसार, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में गैर–शासकीय संगठनों के सन्निहित होने/ उनके द्वारा सहायता प्रदान कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतएव, आयोग द्वारा पूर्व में एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु गैर–शासकीय संस्थाओं को इस अभियान में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया था। आयोग द्वारा लगभग **127** गैर–शासकीय संस्थाओं का पंजीकरण किया जा चुका है। आयोग द्वारा प्रति वर्ष एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अन्य उपभोक्ता संगठनों व उपभोक्ताओं सहित गैर–शासकीय संस्थाओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ के अवधारण की सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं की ओर से उनके विचार/सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

(7) उपभोक्ता अधिकार–पत्र :– आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वितरण केन्द्रों, मैदानी कार्यालयों तथा निगमित कार्यालयों में प्रचार–प्रसार हेतु उपभोक्ता अधिकार–पत्र जारी कर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उपभोक्ता अधिकार–पत्र की प्रतियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई गईं ।

4.4 **विनियमन परिपालन :–** आयोग द्वारा विनियमन परिपालन पर विनियम जारी किये गये हैं, जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारियों को परिपालन के प्रतिवेदक अधिकारी, जो कि आयोग के साथ नियमित आधार पर विचार–विमर्श करेंगे तथा जो विनियमन परिपालन सबंधी विषयों पर नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग विभिन्न विनियमों के अंतर्गत प्रदत्त दिशा–निर्देशों से संबंधित परिपालन की अद्यतन स्थिति की नियतकालिक रूप से समीक्षा करता रहा है तथा विनियमन परिपालन में सुधार लाये जाने की दृष्टि से इस हेतु अग्रिम कदम भी उठाता रहा है। वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वार्षिक समीक्षा की गई। आयोग आगे और सुधार लाये जाने की दृष्टि से विद्युत वितरण कंपनियों को आयोग की अभ्युक्तियां/ दिशा–निर्देश प्रेषित करता है।

4.5 आयोग ने वर्ष 2012–13 के दौरान 1 मेगावाट से अधिक विद्युत भार के उपभोक्ता को खुली पहुंच (open acess) उपभोक्ता मानने के संबंध में एक स्व–प्रेरणा याचिका पंजीबद्ध की एवं निर्णय किया।

परिशिष्ट – 1

आयोग के अध्यक्ष तथा आयोग के सदस्यों के विवरण
(वर्ष 2012–13 की स्थिति में)

सरल क्र.	नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण तिथि	कार्यकाल समापन की तिथि
1	श्री राकेश साहनी	अध्यक्ष	22.09.2010	25.01.2015
2	श्री सी.एस. शर्मा	सदस्य (इकोनामिक्स)	09.07.2008	26.10.2012
3	श्री ए.बी. बाजपेयी	सदस्य	11.12.2012	10.12.2017
4	श्री आलोक गुप्ता	सदस्य	02.01.2013	01.01.2018

परिशिष्ट–2

दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक अधिसूचित किये गये विनियमों की सूची

स.क्रं.	विनियम का नाम	अधिसूचना क्रमांक	जारी कने की दिनांक	अधिसूचना दिनांक	विनियम क्रमांक
01	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथ उत्पादन]	1115	9 अप्रैल, 2012	20 अप्रैल 2012	(एआरजी–33 (I) (II), वर्ष 2012)
02	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मण्डल तथा उत्तराधिकारी ईकाईयों के कर्मियों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012	1191	13 अप्रैल, 2012	20 अप्रैल, 2012	(जी–38, वर्ष 2012)
03	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में तृतीय संशोधन	2026	30 जून, 2012	6 जुलाई, 2012	(ए.आर.जी–26 (I) (iii), वर्ष 2012)
04	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2012	2462	17 अगस्त 2012	24 अगस्त, 2012	–
05	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2012	2525	24 अगस्त 2012	31 अगस्त 2012	–
06	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2012	3148	12 नवम्बर, 2012	23 नवम्बर, 2012	[आरजी–8 (II), वर्ष 2012]

07	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2012	3296	29 नवम्बर, 2012	7 दिसम्बर, 2012	[आरजी 35 (I), वर्ष 2012]
08	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012	3359	7 दिसम्बर, 2012	14 दिसम्बर, 2012	[आरजी 28 (II), वर्ष 2012]
09	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012	3410	12 दिसम्बर 2012	28 दिसम्बर 2012	[आरजी 26 (II), वर्ष 2012]
10	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली)(पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में चतुर्थ संशोधन	151	15 जनवरी, 2013	18 जनवरी, 2013	(ए.आर.जी–31 (I) (iv), वर्ष 2013)
11.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में तृतीय संशोधन	765	5 मार्च, 2013	8 मार्च, 2013	(ए.आर.जी–6 (I) (iii), वर्ष 2013)

परिशिष्ट 3 (अ)

वर्ष 2012–13 हेतु मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2013 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	ग्वालियर	29	83	82	30
2	दतिया	0	0	0	0
3	मुरैना	1	1	2	0
4	भिण्ड	0	1	0	1
5	गुना	1	1	2	0
6	अशोकनगर	0	0	0	0
7	शिवपुरी	1	0	1	0
8	श्योपुर	0	0	0	0
9	भोपाल	15	61	68	8
10	विदिशा	3	13	9	7
11	होशंगाबाद	4	7	9	2
12	बैतूल	0	1	1	0
13	राजगढ़	0	2	2	0
14	सीहोर	0	2	1	1
15	रायसेन	3	1	3	1
16	हरदा	0	0	0	0
	कुल योग	57	173	180	50

परिशिष्ट–3 (ब)

वर्ष 2012–13 हेतु मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इन्दौर के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.13 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	इन्दौर	15	81	92	04
2	धार	01	18	16	03
3	खरगौन	01	10	11	0
4	बड़वानी	03	06	09	0
5	खण्डवा	02	07	05	04
6	बुरहानपुर	03	13	14	02
7	झाबुआ	0	05	05	0
8	अलिराजपुर	0	03	03	0
9	उज्जैन	09	45	46	08
10	रतलाम	0	10	10	0
11	मंदसौर	0	03	03	0
12	नीमच	0	06	06	0
13	देवास	0	15	14	01
14	शाजापुर	0	08	08	0
	कुल योग	34	230	242	22

परिशिष्ट 3 (स)

वर्ष 2012–13 हेतु मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.13 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	जबलपुर	61	142	201	02
2	कटनी	08	25	33	0
3	मंडला	03	04	07	0
4	डिंडोरी	0	01	01	0
5	नरसिंहपुर	33	39	72	0
6	सिवनी	07	80	86	01
7	बालाघाट	02	08	10	0
8	छिंदवाडा	07	19	26	0
9	रीवा	38	33	71	0
10	सतना	56	66	120	02
11	सीधी	06	04	10	0
12	शहडोल	03	02	05	0
13	उमरिया	01	05	06	0
14	अनूपपुर	05	03	08	0
15	सिंगरौली	02	04	06	0
16	सागर	05	25	30	0
17	दमोह	06	13	19	0
18	छतरपुर	07	17	24	0
19	पन्ना	12	04	16	0
20	टीकमगढ़	05	05	10	0
	कुल योग	267	499	761	05

परिशिष्ट–4

विद्युत लोकपाल के समक्ष शिकायतों के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति में प्रगति प्रतिवेदन
(दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक)

शिकायत की प्रकृति	अवधि के प्रारंभ में लंबित	अवधि के दौरान प्राप्त की गई	अवधि के दौरान निराकृत	एक माह से कम की अवधि से लंबित	एक माह से अधिक परन्तु तीन माह तक लंबित	तीन माह से अधिक परन्तु छः माह तक लंबित	छः माह से अधिक अवधि से लंबित	कुल लंबित (संख्या)
विद्युत प्रदाय में अवरोध संबंधी	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
वोल्टेज संबंधी शिकायतें	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
भार कम करने/अनुसूचित अवरोध (लोड शेडिंग/ शेड्यूल्ड आऊटेज) संबंधी	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
मीटर संबंधी शिकायतें	**1**	**6**	**3**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**
विद्युत देयक संबंधी शिकायतें	**7**	**32**	**2**	**5**	**2**	**15**	**7**	**29**
विद्युत प्रदाय का असंयोजन तथा पूर्व संयोजन संबंधी	**0**	**4**	**2**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**
नवीन संयोजन में विलंब संबंधी	**1**	**4**	**7**	**1**	**9**	**0**	**0**	**10**
अन्य शिकायतें, जैसे कि क्षति, मांग/भार में कमी/वृद्धि की जाना अथवा प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, आदि	**10**	**31**	**15**	**4**	**2**	**2**	**14**	**22**
योग	**19**	**78**	**29**	**10**	**15**	**21**	**22**	**68**